न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 138/2020/223 (2020/00138)

1. शंकरलाल पुत्र शिवजीराम,
2. प्रहलाद पुत्र जगदीश,
3. श्रीमती लाली पत्नि रामलाल,
4. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि रामेश्वर,
   समस्त जाति धाकड़, निवासी पीपरोली धाकडान, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र बलदेव, जाति धाकड़, निवासी पीपरोली धाकडान, तहसील सरवाड जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 14.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 113/2017.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गजेन्द्र सिंह, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 12.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश निवेदन किया कि मौजा ग्राम पीपरोली में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 439 हाल खसरा नंबर 385 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा स्थित है । उक्त आराजी वादी की खातेदारी की भूमि है । विवादित आराजी में किसी प्रकार का मौके पर रास्ता नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण नाजायज रूप से वादी की खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 14.5.2018 द्वारा वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण/अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया ।

अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 सरवाड़ के समक्ष पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी एवं प्रतिवादीगण/अपीलांट को विधिवत् नोटिस तामील भी नहीं हुए थे इसके बावजूद पत्रावली को दिनांक 14.5.2018 को राजस्व अभियान में नियत कर अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना साक्ष्य लिये एवं दस्तावेजों पर बिना प्रदर्श अंकित किये वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण की भूमि खसरा नंबर हाल 385 में से रास्ता लेने बाबत् अपीलांटस ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था जिसमें अपीलांटस के हक में निर्णय किया गया जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है । उक्त बिन्दु को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का वाद स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है । रेस्पो0 ने अपीलांटस के रास्ते के प्रकरण को निष्प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बदनियतिपूर्वक वाद प्रस्तुत किया था जो काबिल निरस्त योग्य था । वर्तमान खसरा नंबर 385 वादी/रेस्पो0 का है एवं खसरा नंबर 387 अपीलांटस का है एवं अपीलांटस खसरा नंबर 385 में से होकर खसरा नंबर 387 में जाने हेतु रास्ते की मांग कर रहे है ।अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 14.5.2018 में प्रतिवादीगण की ओर से जिन अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज की है उस प्रकरण में उनका वकालतनामा ही पत्रावली पर नहीं है बल्कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र में उनका वकालतनामा था । अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार पर प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थिति अंकित कर दी जबकि अधी0न्याया0 की पत्रावली की पूर्व आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि कहीं पर भी प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने के संबधं में कोई आदेशिका नही है बल्कि प्रवितादीगण के सम्मन इंतजार बाबत् लिखा है । इससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण होने से पूर्व ही अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित किया है जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.5.2018 बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से ऐसे निर्णय को चुनौती देने की कानूनन कोइ समयावधि नहीं है । रेस्पो0 द्वारा धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में किये जाने पर नोटिस प्रार्थीगण को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण ने अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तब अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अन्य प्रकरण का फैसला उनके विरूद्ध हुआ है । तब प्रार्थीगण ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी कर नकल हेतु दिनांक 14.8.2020 को आवेदन पेश किया जिस पर नकल लेकर फीस की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 1/वादी है जिसकी आराजी में अपीलांटस द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के रास्ता बनाने पर आमादा होने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। किसी खातेदार की आराजी में अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवधान किये जाने पर खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । अपीलांट द्वारा धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश कर रखी है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो उचित निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कथन अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को नोटिस तामील कराये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । आदेशिका दिनांक 15.3.2018 के अनुसार अधी0न्याया0 में प्रतिवादी को जारी सम्मन इंतजार होकर मिसल दिनांक 19.4.2018 को नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 14.5.2018 को पत्रावली न्याय आपके द्वारर अभियान 2018 के तहत ग्राम हिंगोनिया बरल सेवा केन्द्र पर रखी जाकर वाद को निर्णित किया गया है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 14.5.2018 में वादीगण की वकील श्री शैलेन्द्र जैन व प्रतिवादी की ओर से श्री एन0सी0जैन व ओमप्रकाश चौधरी को हाजिर होना अंकित किया है जब पत्रावली प्रतिवादी को जारी सम्मन इंतजार में थी प्रतिवादी/अपीलांट को सम्मन कब तामील हुए तथा किस दिनांक को प्रतिवादीगण की और से वकालतनामा पेश किया गया । इस संबंध में पत्रावली की आदेशिकाओं में कोई अंकन नहीं है । अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा जारी सम्मन/नोटिस कभी भी अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामील नहीं हुए एव न ही उनके द्वारा अधिवक्ता श्री एन0सी0जैन व ओमप्रकाश चौधरी को हस्तगत वाद में अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उक्त अधिवक्तागण अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रकरण अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में नियुक्त है न कि हस्तगत वाद में । अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस को वाद के सम्मन/नोटस तामील नहीं हुए न ही उनके द्वारा वाद की पैरवी हेतु कोई अभिभाषक ही नियुक्त किया गया था जिससे अपीलांटस को अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । हम न्यायहित में अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

दिनांक 14.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 12.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर